

दिनांक

हुकम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

5/12/24

पत्रावली पेश हुई / वादी आदि 0340 पत्रावली शाब्दिक
आदेश से दिनांक 23/12/24 को पेश हो

23/12/24

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधिकारिता उप
नहीं। वादी एवं वादी आधिकारिता को नियमावली
तीन बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित
नहीं आया। समय 5.50 PM हो चुका है। वादी एवं
वादी आधिकारिता को न्यायालय में पुनः एक बार
आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं
आया। वादी एवं वादी आधिकारिता के न्यायालय में
उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा उपलब्ध
वाद अन्तर्गत द्वारा 53-54 वाक्यांश का शतकाली
आधिकारिता को अदम हाजरी। अदम पैवी में
खारिज किया जाता है। निष्पत्ति से इतना
सुनाया गया। टिकी प्रजा जारी हो।

पत्रावली फौजल शुमार लेकर
दाखिल दाखल ही तबका नम्बर से कम हो।


23/12/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भूरा पिता लाला जी जाट उम्र वयस्क निवासी कारोई, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. बद्री पिता लाला जाट उम्र वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. शंकर पिता लाला जाट उम्र वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 78/2016 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री किशन लाल कुमावत अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 23.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


23/12/24
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा